श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय

जोबनेर 303329, जिला जयपुर (राजस्थान)

फोन नं. 01425–254022(का.)

e-mail Id : dean.skncoa@sknau.ac.in

क्रमांक : एफ.( )/सीएस/ई बिड/श्रीकनकृमवि/2024/ 532 दिनांक : 21.06.2024

ई–बिड सूचना

पशुपालन, प्रायोगिक एवं अन्य कृषि कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति की ई–बिड प्रपत्र वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov से डाउनलोड किया जा सकता है एवं sppp.rajasthan.gov.in and www.sknau.ac.in देखा जा सकता है। **ई–बिड प्रपत्र शुल्क राशि 1000.00, धरोहर राशि** Rs. 3.40 Lakhs (DD/BC in favour Dean, SKNCOA, Jobner) तथा RISL **प्रोसेसिंग फीस राशि 1000.00** भरकर दिनांक 15.07.2024 समय सायं: 05:00 बजे तक Upload करवाना एवं अधिष्ठाता कार्यालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर में जमा करवाना होगा एवं दिनांक 16.07.2024 को सुबह 11.30 बजे ई–बिड समिति द्वारा खोली जावेगी।

UBN :

अधिष्ठाता

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. वित–नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि वह स्वयं/प्रतिनिधि ई–बिड खोलने के समय उपस्थित हाने का श्रम करे।
3. प्रभारी, सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि इस ई–बिड को http://eproc.rajasthan.gov.in, sppp.rajasthan.gov.in एवं विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.sknau.ac.in पर Upload करवाना सुनिश्चित कराएँ।
4. श्रीमान् संयोजक/सदस्य, निविदा समिति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
5. श्रीमान् आहरण एवं वितरण अधिकारी, कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
6. श्रीमान् कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
7. कैशियर, लेखा शाखा, कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
8. नोटिस बोर्ड (नगर पालिका/नया बाजार/जोरपुरा), जोबनेर।

अधिष्ठाता

पशुपालन, प्रायोगिक एवं अन्य कृषि कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति की ई–बिड सूचना

महाविद्यालय द्वारा पशुपालन, प्रायोगिक, अन्य कार्य के लिए एवं कृषि कार्य हेतु ठेके की ई–बिड हेतु प्रतिष्ठित एवं अनुभवी पंजीकृत सेवा प्रदात्ता संस्थाओं/फर्मो से ई–बिड निम्न विवरणानुसार आमंत्रित की जाती है:–

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित राशि (₹लाखों में)	धरोहर राशि (₹लाखों में)	ई–बिड शुल्क (₹)	ई–बिड बेचने की तिथि व समय	प्रि–बिड मीटिंग की तिथि व समय	ई–बिड प्रपत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	ई–बिड प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय
1.	पशुपालन, प्रायोगिक, अन्य कार्य के लिए एवं कृषि कार्य हेतु	170.00	3.40	1000.00	21.06.2024 सायं 05.00 बजे से	24.06.2024 अपरान्ह 02.00 बजे	15.07.2024 सायं: 05:00 बजे तक	16.07.2024 प्रात: 11.30 बजे

ई–बिड

पशुपालन, प्रायोगिक एवं अन्य कृषि कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति की ई–बिड सूचना

निविदा क्रमांक :	एफ. ( )/सीएस /ई–बिड/श्रीकनकृमवि/2024/532 दिनांक : 21.06.2024
प्रि–बिड दिनांक, समय व स्थान :	24.06.2024 समय अपराह्न 02.00 बजे अधिष्ठाता कार्यालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर
ऑनलाईन बिड प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय :	15.07.2024 सायं: 05:00 बजे तक
बिड प्रपत्र शुल्क राशि के DD/BC:	₹ 1000.00/– **अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के पक्ष में देय**
RISL प्रोसेसिंग शुल्क:	₹ 1000.00 (प्रबन्ध निदेशक, आर.आई.एस.एल. जयपुर के पक्ष में देय)(M.D., RISL JAIPUR)
धरोहर राशि DD/BC (in favour Dean, SKNCOA, Jobner	Rs. 3.40 Lakhs

ई–बिड प्रपत्र शुल्क, आर. आई. एस. एल. प्रोसेसिंग फीस तथा धरोहर राशि (DD/BC (in favour Dean, SKNCOA, Jobner) Rs. 3.40 Lakhs भरकर उपर्युक्त नाम से अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के कार्यालय में दिनांक 15.07.2024 समय सायं: 05:00 बजे तक भौतिक रूप से (Physically) प्रस्तुत करने होगें।

अधिष्ठाता

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय
श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय
जोबनेर 303329, जिला जयपुर (राजस्थान)
फोन नं. 01425–254022(का.)
e-mail Id : dean.skncoa@sknau.ac.in

क्रमांक :एफ.( )/सीएस/ईबिड/श्रीकनकृमवि /2024/ 532   दिनांक : 21.06.2024

कार्य की अनुमानित लागत – ₹ 170.00 लाख

प्रपत्र 'अ' तकनीकी बिड
ऑनलाईन ई–बिड जमा कराने की
अन्तिम तिथि– 15.07.2024
समय सायं: 05:00 बजे तक
ई–बिड प्रपत्र शुल्क – ₹ 1000.00

पशुपालन, प्रायोगिक एवं अन्य कृषि कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति की ई–बिड सूचना

1. ई–बिड प्रस्तुत करने वाली फर्म का पूरा नाम, ...
2. डाक का पता एवं टेलीफोन नं. लेण्डलाईन, मोबाईल व ई–मेल सहित ....
....
3. कार्यालय का पता, दूरभाष नम्बर, सम्पर्क सूत्र व्यक्ति का नाम एवं मोबाईल नम्बर ....
....
....
....
4. किसको संबोधित किया गया – **अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर**
5. ई–बिड सूचना संदर्भ एफ.( )/सीएस/ईबिड/श्रीकनकृमवि/2024/........ दिनांक 21.06.2024
6. ई–बिड प्रपत्र शुल्क राशि ₹ 1000.00 **अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर** के पक्ष में देय, आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग फीस राशि ₹ 1000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक **M.D., RISL, Jaipur,** तथा धरोहर राशि (DD/BC (in favour Dean, SKNCOA, Jobner) Rs. 3.40 Lakhs **के पक्ष में देय,** अधिष्ठाता कार्यालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर में भौतिक रूप से जमा करा दी है एवं वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov पर अपलोड कर दिया है।
7. हम **अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर** द्वारा जारी की गई ई–बिड सूचना **संख्या** .... **दिनांक** .... में वर्णित शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त ई–बिड सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
8. ई–बिड प्रपत्र के साथ संलग्न **प्रपत्र 'ब'** में दर्शाये गये कार्य संबंधी दरें सभी करों व आनुषंगिक प्रभारो सहित अंकित है।
9. पशुपालन, प्रायोगिक एवं अन्य कृषि कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति की ई–बिड सूचना के लिए महाविद्यालय की विभिन्न इकाईयों की आवश्यकतानुसार आपूर्ति मांग के 24 घंटे की अवधि में कर दी जाएगी। महाविद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार सेवा इकाई में कमी या वृद्धि की जा सकती है।
10. पशुपालन, प्रायोगिक एवं अन्य कृषि कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति की ई–बिड हेतु **प्रपत्र 'ब'** में दी गई दरें एक वर्ष के लिए हैं जिसे आपसी सहमति से 3 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है।

11. धरोहर राशि (DD/BC (in favour Dean, SKNCOA, Jobner) Rs. 3.40 Lakhs भरकर **अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर** के कार्यालय में प्रस्तुत करते हुए ई–बिड दिनांक 15.07.2024 सायंः 05:00 बजे तक तकनीकी वेबसाईट **http://eproc.rajasthan.gov** पर Upload की जा सकती है।
12. ई–बिड प्रपत्र के साथ जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा जीएसटी चुकता प्रमाण पत्र संलग्न है।
13. टर्न ओवर प्रमाण पत्र **(प्रपत्र'स')** संलग्न है।
14. पूर्व में समान प्रवृत्ति के कार्य के लिए किसी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं होने का प्रमाण पत्र **(प्रपत्र'द')** संलग्न है।
15. ई–बिड प्रपत्र के साथ FORM NO. 1, Memorandum of Appeal संलग्न है। **(प्रपत्र 'य')**
16. ई–बिड प्रपत्र के साथ कर्मचारी भविष्य निधी एवं कर्मचारी राज्य बीमा पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न है।
17. बोलीदाता/संवेदक विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत करेगा :

क्र. सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं जीएसटी **(GST)**				
5.	आय कर (पैन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डिन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट, 1956 के अन्तर्गत				

ई–बिडदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय
जोबनेर 303329, जिला जयपुर (राजस्थान)
फोन नं. 01425—254022(का.)
e-mail Id : dean.skncoa@sknau.ac.in

अधिष्ठाता

क्रमांक : एफ.( )/सीएस/ईबिड/श्रीकनकृमवि /2024/ 532 दिनांक : 21.06.2024

तकनीकी बिड प्रपत्र 'अ'

पशुपालन, प्रायोगिक एवं अन्य कृषि कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति की ई–बिड सूचना

परिचय :– श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय भारत एवं राजस्थान सरकार द्वारा वित–पोषित सरकारी संस्था है जिसका उद्धेश्य कृषि पाठन, खोज व प्रसार का कार्य करना है। महाविद्यालय के फार्मो एवं महाविद्यालय परिसर पर पशुपालन, प्रायोगिक, अन्य कार्य के लिए एवं कृषि कार्य हेतु सम्पन्न करवाने हैं महाविद्यालय की समस्त इकाईयों द्वारा वर्षभर में विभिन्न कार्यो को सम्पादन करवाने हेतु निम्नलिखित श्रमिकों की आवश्यकता पडेगी ।

कार्य का नाम	वर्षभर में अनुमानित आवश्यक श्रमिकों की कार्य दिवस संख्या
पशुपालन, प्रायोगिक एवं अन्य कृषि कार्य हेतु श्रमिक	
अकुशल	37,100
अर्द्ध कुशल	2700
कुशल	5400
उच्च कुशल	2,200

उपर्युक्त कार्यो हेतु ई–बिड आमंत्रित की जाती है। ऐसी सेवा प्रदाता संस्थाओं/फर्म / कम्पनी /सोसायटी जिन्हें इस तरह के कार्य करवाने का अनुभव हो, बिड भर सकते हैं। ई–बिड प्रपत्र वेबसाईट "http://eproc.rajasthan.gov.in" से डाउनलोड किया जा सकता है एवं वेबसाईट www.sknau.ac.in & sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है। ई–बिड ऑनलाईन इलेक्ट्रोनिक्स फोरमेट में वेबसाईट "http://eproc.rajasthan.gov.in" पर ही प्रस्तुत की जाएगी। **ई–बिड प्रपत्र शुल्क राशि : ₹ 1000.00, RISL प्रोसेसिंग फीस राशि ₹ 1000.00** तथा धरोहर राशि (DD/BC in favour Dean, SKNCOA, Jobner) Rs. 3.40 Lakhs **भरकर दिनांक 15.07.2024 सायं: 05:00 बजे तक अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर में जमा करवाना आवश्यक है।**

A. **आवेदन के लिए वांछित पात्रता**

1. बिडदाता सेवा प्रदाता फर्म/कम्पनी/सोसाइटी का विगत तीन वर्षो का औसत वार्षिक टर्न ऑवर ₹ 03.00 करोड़ हो। इस हेतु वांछित प्रामाणिक दस्तावेज GST No., Balance Sheet Profit and Loss A/c, Receipt & Payment/Income-expenditure A/c आदि अनिवार्य रूप से संलग्न करे।
2. सेवा प्रदाता फर्म का राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत पंजीकरण होना वांछित है। पंजीकरण संख्या व उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना जरूरी है (कम से कम 100 श्रमिक प्रतिदिन ठेके पर उपलब्ध कराने का होना आवश्यक है) ।
3. फर्म/कम्पनी द्वारा न्यूनतम एक सरकारी विभाग/उपक्रम में इस तरह का कार्यानुभव विगत 3 वर्षो का होना अनिवार्य है। संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र संस्थान प्रमुख द्वारा जारी किया हुआ संलग्न करना अनिवार्य है।
4. आवेदक को पंजीकृत कार्यालय/शाखा का के पूर्ण पते, दूरभाष नम्बर, फैक्स नम्बर सहित होना अनिवार्य है।
5. सेवा प्रदाता का राजस्थान में पंजीकृत कार्यालय होना अनिवार्य है।
6. सेवा प्रदाता को जीएसटी हेतु पंजीकृत होना अनिवार्य है। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न करें।
7. सेवा प्रदाता को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 योजनान्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है।
8. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डिन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकरण संख्या व उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना जरूरी है।

B. **आवेदन की विधि तथा धरोहर राशि जमा कराना**

ई–बिड प्रपत्र शुल्क की राशि ₹ 1000.00 एवं तथा धरोहर राशि (DD/BC in favour Dean, SKNCOA, Jobner) Rs. 3.40 Lakhs भरकर **अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर** के पक्ष में देय एवं प्रोसेसिंग फीस राशि ₹ 1000.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक M.D., RISL, Jaipur के पक्ष में देय भौतिक रूप (Physically) से **अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर** के कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है। (प्रपत्र 'र')

C. **पशुपालन, प्रायोगिक एवं अन्य कृषि कार्य हेतु श्रमिक के लिए शर्ते**

1. ठेकेदार को प्रतिदिन श्रमिकों को उपलब्ध करवाते समय फार्म पर उपस्थित रहना आवश्यक होगा।
2. अगर ठेकेदार अपना कार्य निश्चित अवधि के बीच में छोडता है व श्रमिकों को भुगतान नही करता है या कार्य संतोषजनक नही करने पर उसको इस कार्यालय द्वारा नियमानुसार इस ठेके से हटाया जा सकता है तो उसके द्वारा जमा बोली प्रति भूति एवं कार्य सम्पादन राशि जब्त कर ली जायेगी।
3. ठेकेदार को प्रत्येक दिन कुल श्रमिकों की मांग के अनुसार कम से कम 90 प्रतिशत पुरूष श्रमिक उपलब्ध कराने होंगें अन्यथा जितने कम पुरूष श्रमिक होंगें उसके अनुसार रू0 40/– प्रति पुरूष श्रमिक के हिसाब से शासित (पैनेल्टी) का भुगतान देय होगा व उस दिन के कुल श्रमिक के देय भुगतान में से इस शासित (पैनेल्टी) की राशि को कम करके भुगतान देय होगा।
4. ठेकेदार द्वारा संस्थान में श्रमिकों को राजस्थान सरकार के द्वारा वर्तमान में निर्धारित दर से कम पर भुगतान नही होगा। यदि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम दरें बढाई जाती है तो ठेकेदार श्रमिकों को राजस्थान सरकार के द्वारा परिवर्तित निर्धारित दर के अनुसार अधिक

दर का भुगतान करेगा। ठेकेदार अपने समस्त खर्च एवं लाभांश को मध्येनजर रखते हुए निविदा में विभिन्न कैटेगरी के श्रमिकों को उपलब्ध करवाने हेतु अपनी निर्धारित दरें दे।

5. सफल ठेकेदार को प्रति तिमाही श्रमिकों को किये जाने वाले भुगतान की NEFT/RTGS रिर्पोट कार्यालय में प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।
6. **सेवा उपभोग करने वाले संस्थान द्वारा ठेकेदार के श्रमिक बिलों के भुगतान में अगर किसी कारणवश देरी होती है तो भी श्रमिकों को समय पर भुगतान की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की अपनी होगी। ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक भुगतान करना आवश्यक होगा अन्यथा देरी से भुगतान करने पर 500/– रू0 प्रतिदिन के हिसाब से उपयोगकर्त्ता संस्थान में शास्ति (पैनेल्टी) की राशि जमा करवानी होगी। ठेके के अधीन कार्यरत श्रमिकों का भुगतान बैंक में ट्रांसफर करना होगा एवं भुगतान फार्म स्टाफ के सामने कराना होगा। इस बिन्दु को विशेष रूप से ध्यान में रख कर बिड भरें।**
7. **श्रमिक जिस कार्यालय को उपलब्ध करवायेंगे उसी कार्यालय को बिल प्रस्तुत करना होगा और वही कार्यालय प्रस्तुत बिलों का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा।**
8. फार्म पर श्रमिकों की प्रतिदिन कराई गई उपलब्धता की संख्या व फार्म पर लगने वाले श्रमिकों के नाम की सूची फार्म कार्यालय में हस्ताक्षर व फर्म की मोहर लगा कर देनी होगी। नियमानुसार ठेकेदार श्रमिक के तौर पर 25 वर्ष से कम व 55 वर्ष से ज्यादा आयु के व्यक्ति को कार्य पर नही लगाया जा सकता है। अगर फार्म स्टाफ को किसी प्रकार का संदेह किसी भी कार्यरत श्रमिक की उम्र इत्यादि पर होता है तो उस श्रमिक की पहचान ठेकेदार को बतानी होगी।
9. श्रमिकों को प्रत्येक माह के भुगतान की लिखित सूचना हस्ताक्षर सहित संस्थान को देनी होगी। उसके पश्चात् ही आगामी माह के बिल का भुगतान देय होगा।
10. ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये गये श्रमिक द्वारा संस्था में किसी भी प्रकार की हानि पहुँचाता है तो उसका उत्तरदायित्व स्वयं ठेकेदार का होगा, नुकसान की वसूली का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर को ठेकेदार से होगा।
11. सिंचाई हेतु ठेकेदार को दिन व रात्रि में कार्य हेतु पुरूष श्रमिक मांग के अनुसार उपलब्ध करवाने होंगे अन्यथा बिन्दु संख्या 3 में अंकित निर्धारित शास्ति (पैनेल्टी) देनी होगी।
12. ठेकेदार को यथासंभव एक दिन पहले, दूसरे दिन की कुल श्रमिकों की अनुसंधान कार्य हेतु मांग के अनुसार उपलब्धता हेतु सायं 4.30 बजे तक फार्म इन्चार्ज द्वारा सूचित कर दिया जावेगा। किसी प्राकृतिक कारणों से या आकस्मिक अवकाश घोषित होने पर अगर कुल उपलब्ध करवाये जाने वाले श्रमिकों की मांग में जिस दिन बदलाव की आवश्यकता होगी, उस दिन रात्रि 9.00 बजे तक ठेकेदार को फार्म इन्चार्ज द्वारा सूचित कर दिया जावेगा, उसी के अनुसार ठेकेदार को श्रमिक उपलब्ध करवाने होंगें। सूचित नही करने पर मांग के अनुरूप ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये जा रहे उस दिन के श्रमिकों को फार्म इन्चार्ज कार्य है या नहीं फिर भी अवश्य लेना होगा।
13. ठेकेदार अनुसंधान कार्य की महत्वता एवं गुणवत्ता अनुसार श्रमिक उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है तो संस्थान अपने स्तर पर श्रमिकों की व्यवस्था करवायेगा। ठेकेदार द्वारा समय पर पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध नही करायेगा तो अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर अपने स्तर पर श्रमिकों की व्यवस्था करेगा तथा जो अतिरिक्त अधिक राशि का भुगतान उस दिन श्रमिकों को देय होगा उस अतिरिक्त राशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।
14. श्रमिकों को कृषि कार्य हेतु उपलब्ध करवाने बाबत इस कार्यालय द्वारा अग्रिम राशि देय नही होगी। अनुसंधान कार्य की आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए श्रमिकों की

उपलब्धता देय ठेके की अवधि RTPPR 2012, RTPPR 2013 एवं GF&AR में उल्लेखित प्रावधानुसार घटाई या बढाई जा सकेगी।

15. महाविद्यालय द्वारा फर्म को किसी भी प्रकार का अग्रिम देय नही होगा। इकाई प्रभारी श्रमिक से कोई भी कार्य करवा सकता है।
16. ठेकेदार द्वारा श्रमिकों की उपलब्धता मांग के अनुरूप नही करने एवं अन्य विवाद की स्थिति में 7 दिन के नोटिस पर ठेकेदार का अनुबंध निरस्त किया जा सकता है तथा ऐसी स्थिति में उसकी समस्त अमानत राशि जब्त करने व अन्य सफल बिड में से जिसकी दर न्यूनतम एवं उचित होगी, उसे ठेका देने का अधिकार अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर हो होगा।
17. अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर न्यूनतम दरों पर ठेकेदार द्वारा श्रमिक उपलब्ध करवाने पर भी बिड अनुमोदन के लिए बाध्य नही होगा।
18. न्यूनतम दर के साथ बिड की दरों की व्यवहारिकता उसके पूर्व में किये गये कार्यो का अनुभव और उसके पंजीयन की प्रमाणिकता आदि को भी ध्यान में रखा जावेगा।
19. दो या दो से अधिक बिडदाताओं के द्वारा दी गई कार्य दरों में अगर समानता होती है तो अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर द्वारा किया गया निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।
20. बिडदाता या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति को कार्यालय समय में महाविद्यालय में उपस्थित रहना आवश्यक होगा। महाविद्यालय में प्रतिदिन चाहने वाले श्रमिक महाविद्यालय के सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा सस्य विज्ञान विभाग के फार्म पर उपलब्ध रजिस्टर में दर्ज कार्य अनुसार बिडदाता या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति श्रमिक उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होंगें व रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर व दिनांक अंकित करने होंगें।
21. यदि बिडदाता द्वारा समय पर श्रमिक उपलब्ध नही कराये गये तो कार्य की आवश्यकता को देखते हुए सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी उस कार्य को अपने स्तर पर ठेकेदार की दर से दो गुणा तक श्रमिक लगा कर पूर्ण करा लेंगें जिसका भुगतान बिडदाता द्वारा जमा अमानत राशि में से किया जायेगा तथा उतनी ही राशि महाविद्यालय उसकी अमानत राशि में से पैनेल्टी के रूप में काटेगा। समय पर कार्य सम्पादन न कराने, श्रमिक उपलब्ध न कराने व बिड शर्तो को न मानने पर बिडदाता को भविष्य के लिए ब्लेक लिस्टेड कर दिया जायेगा।
22. बिडदाता को यथासंभव पूर्व में ही कार्य हेतु दिन व समय बता दिया जायेगा, फिर भी दिन व समय प्रकृति पर निर्भर करेगा जिसके लिए बिडदाता को तुरंत श्रमिकों की व्यवस्था करनी होगी। बिडदाता द्वारा समय पर कार्य नही किये जाने की स्थिति में जो भी हानि होगी वह बिडदाता को वहन करनी होगी। बिडदाता यदि कृषि, पशुपालन, प्रायोगिक एवं अन्य कार्यो की महत्वता एवं गुणवत्तानुसार कार्य करने में असमर्थ रहता है या कार्य अधूरा छोडता है तो महाविद्यालय उन शेष कार्यों को अपनी जिम्मेदारी से पूर्ण करायेंगें जिसका भुगतान बिडदाता द्वारा जमा अमानत राशि में से किया जायेगा । इस भुगतान की राशि पुनः सात दिनों के अन्दर जमा करानी होगी। इस प्रकार की प्रवृत्ति की यदि तीन बार पुनरावृत्ति होती है तो अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर को बिड निरस्त करने का अधिकार होगा एवं बिडदाता की अमानत राशि भी जब्त कर ली जायेगी।
23. अलग–अलग कार्यों के लिए अलग–अलग फर्मों के न्यूनतम दर प्राप्त होने पर बिड का विभाजन नहीं किया जायेगा।

24. डेयरी/मुर्गी फार्म पर पुरूष श्रमिक होने चाहिए।

25. श्रमिकों को डेयरी फार्म पर गायों एवं बकरियों का दूध भी निकालना होगा।

26. डेयरी/मुर्गी पर मैनेजर के अनुसार समय का पालन करना होगा।

27. मैनेजर श्रमिकों से फार्म का कोई भी कार्य करा सकते हैं।

27. राजस्थान सरकार (वित्त विभाग) द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ.02(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 जयपुर दिनांक 30.04.2018 के संख्या 01/2018 के अन्तर्गत निम्न शर्तों भी जोड़ी जा रहा है :

i. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 मार्च, 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

ii. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।

iii. यदि उपापन संस्था को अंशकालिक (Part-Time) मानव संसाधन की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिये आवश्यकता हो तो ऐसी अंशकालिक सेवा का बोली दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख करते हुए सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा बिड सम्बन्धी कारवाई की जावेगी। ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाऐं 4 घण्टे से कम अवधि के लिए ली जावेगी उन्हें सेवाओं के विरूद्ध न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जावेगी।

iv. संवेदक (बिडदाता) द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातें में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातें में जमा कराई गई राशि का विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

v. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

vi. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान नही किया जायेगा।

vii. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेगें, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

viii. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

ix. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं जीएसटी (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं जीएसटी (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं जीएसटी (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में

वस्तु एवं जीएसटी (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं जीएसटी (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

x. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

xi. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

xii. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

xiii. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के सम्बन्ध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

xiv. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है, तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।

xv. यदि संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो, तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जावेगा। उदाहरण के लिए यदि उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है, तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले सम्बन्धित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

xvi. उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जावेगी।

28. बिड को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर को होगा।
29. उपरोक्त शर्तों का अध्ययन कर स्वीकार करने के रूप में बिडदाता के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं मोहर अंकित कर दी है।

ई–बिडदाता के पूर्ण हस्ताक्षर मय
स्पष्ट नाम मय फर्म की रबड मोहर

दिनांक ————————
स्थान ————————

I. बिड का खोला जाना।

दिनांक 16.07.2024 को प्रातः 11:30 बजे सभी Uploaded निविदा प्रपत्रों को उपस्थित बिडदाताओं के समक्ष खोला जाएगा।

II. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि

सफल बिडदाता को कार्यादेश राशि के 2.5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन (धरोहर राशि की राशि को सम्मिलित करते हुए) प्रतिभूति को (Performance Security) जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंक पे–आर्डर अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय के नाम जो जोबनेर में भुगतान योग्य हो, के माध्यम से जमा करानी होगी। यह कार्य सम्पादन प्रतिभूति बिडदाता द्वारा कार्यादेश में वांछित अवधि समाप्त होने पर तथा समस्त कार्य संतोषजनक पूर्ण करने पर ही लौटाई जा सकेगी अन्यथा कि स्थिति में यह पूर्ण रूप से/अंशतः जब्त की जा सकेगी।

III. उत्तरदायित्व

सेवा सम्पादन के दौरान मैन पॉवर की किसी प्रकार की दुर्घटना या भारत/राजस्थान में प्रचलित किसी कानून/नियम/अधिनियम/उपनियम के उल्लंघन की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी बिडदाता की होगी। सेवा हेतु रखे गए श्रमिक सेवा ईकाई की समस्त प्रकार की जिम्मेदारी बिडदाता की होगी। **सफल बिडदाता को जिम्मेदार अधिकारी/व्यक्ति का नाम, पता व मोबाइल नम्बर उपलब्ध करवाना होगा ताकि कार्य सुचारू रूप से हो सके।**

IV. ई–बिड को स्वीकार/अस्वीकार करने की शक्तियाँ

बिड को बिना कारण बताए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अस्वीकार करने के सम्पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर को होगें। यह अनिवार्य नही की असफल बिडदाता के साथ पत्र व्यवहार करें या उनके पत्र व्यवहार का जवाब दिया जाएँ। एक बार ई–बिड प्रस्तुत कर देने के पश्चात् वापस लेने का अधिकार किसी बिडदाता को नही होगा। पर्याप्त बिड् सिक्यूरिटी, RSIL फीस एवं बिड शुल्क के अभाव में ई–बिड फार्म रद्द कर दिए जाएगें। ई–बिड में प्राप्त दरें बातचीत (Negotiation)/बिना बातचीत स्वीकार करने के पूर्ण अधिकार क्रय समिति एवं उपापन अधिकारी को होगें जो बिडदाता के लिए बाध्यकारी होगें।

V. अनुमानित राशि का आंकलन

प्रपत्र "अ" में वर्णित कार्य संख्या अनुमानित है, जिसमें मौके पर कुछ परिवर्तन संभावित है। उक्तानुसार कार्य की अनुमानित लागत राशि 170.00 लाख है। महाविद्यालय द्वारा आयकर स्त्रोत पर काटकर ही राशि का भुगतान किया जाएगा।

VI. दर संविदा अनुबंध की अवधि

दर संविदा की अवधि एक वर्ष के लिए होगी तथा जो परस्पर सहमति से नियमानुसार बढाई जा सकती है।

VII. अनुबन्ध – पत्र

सफल बिडदाता को निर्धारित प्रारूप के अनुसार नियमानुसार निर्धारित राशि रू0 1,000/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर एक अनुबंध पत्र सम्पादित करना होगा जिसका व्यय बिडदाता को वहन करना होगा। दोनो पक्षो को उक्त अनुबंध पत्र की प्रत्येक शर्त का अक्षरशः पालन करना होगा। यदि बिडदाता उक्त शर्तों का उल्लघंन करता है तो अनुबंध पत्र किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जाएगा, तथा उक्त कार्य अनुबंधकर्त्ता की Risk and Cost पर अन्य व्यक्ति से करा लिया जाएगा। यदि करार के पश्चात् चाही गई मैनपावर में किसी प्रकार की बढ़ोतरी/कमी होती है तो आनुपातिक आधार पर पैकर्स सेवाएँ बढाई/घटाई जा सकती है।

VIII. भुगतान की शर्तें

बिल का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। सफल बिडदाता सेवा प्रदाता को प्रतिमाह संबंधित इकाई प्रभारी अधिकारी से सेवा संतोषजनक होने का प्रमाणीकरण करवाकर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बिल अधिष्ठाता कार्यालय पर प्रस्तुत करने होगें जिसके आधार पर भुगतान किया जा सकेगा। **उक्त सेवाओं के बदले महाविद्यालय द्वारा सेवाओं के संतोषजनक पाये जाने पर मासिक आधार पर भुगतान समेकित रूप से बिडदाता सेवा प्रदाता को RTGS/NEFT/चैक द्वारा किया जाएगा।**

IX. भुगतान की जिम्मेदारी

बिडदाता (सेवा प्रदात्ता) को मासिक आधार पर सेवाओं के संतोषजनक होने पर सेवा प्रदात्ता फर्म को भुगतान करेगा। अन्य किसी भी तरह की जिम्मेदारी से मुक्त होगा। वर्णित कार्यो के किए जाने वाले भुगतान तथा अन्य किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त होगा।

X. मध्यस्थ

बिड की किसी भी शर्तों के संबंध में अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

XI. कार्यादेश का निरस्तीकरण

अधिष्ठाता को किसी भी कार्यादेश को निरस्तीकरण पेटे बिना कोई भुगतान किए पूर्णतः/आंशिक रूप से निरस्तीकरण के सम्पूर्ण अधिकार होगें लेकिन यह मात्र असामान्य/विशेष परिस्थितियों में ही हो सकेगा।

XII. बिड शर्तों की स्वीकारोक्ति

बिडदाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह बिड भरते समय बिड प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने लघु हस्ताक्षर करेगा जिससे यह माना जाएगा कि उसने प्रत्येक शर्त पढ़/समझ ली है तथा उसे/उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार्य है। अहस्ताक्षरित बिड निरस्त की जा सकती है। भारत/राजस्थान सरकार द्वारा लागू किए गए किसी भी कर/लेवी की वसूली सफल बिडदाता के बिल से कटौती महाविद्यालय द्वारा की जाएगी।

XIII. ई–बिड की अन्य शर्ते सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग–II के नियम 68 ई–बिड के लिए ई–बिड एवं संविदा की शर्ते एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार लागू होंगी।

XIV. किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म ई–बिड प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी ई–बिड प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति (Bid Security)/कार्य सम्पांदन प्रतिभूति (Performance Security) जब्त करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा।

XV. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार – बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :–

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा।

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा और यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में

अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

XVI. सत्यनिष्ठा संहिता – उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा।

(ड) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

XVII. हित का विरोध –

(1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।

(2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :–

(क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृतिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृतिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।

(ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप ओर सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।

(ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।

(घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जंहा उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष

लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।

(3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है।

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

या

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

XVIII. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण – प्रथम अपील प्राधिकारी माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा महाविद्यालय या राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी होगे।

1 **अपीलः–** (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लघंन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को,जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्टीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्द की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप **(प्रपत्र–'य')** में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगााने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगााने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप–धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तद्नुसार आदेश पारित करेगा जो उप–धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप–धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकरी उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप–धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदाभिहित किसी अधिकरी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप–धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धन्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों , बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकरों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप–धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा–सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर–भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों , बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप–धारा (1) और (4) के अधीन प्रात्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया–नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

1. अपील का प्ररूप –

(1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप **(प्रपत्र –'य')** में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि

अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

2. अपील फाइल करने के लिए फीस –

(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

3. अपील के निपटारे की प्रक्रिया –

(1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा।

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

XIX. यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) होगा।

अधिष्ठाता

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तो का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त सभी शर्तो से प्रतिबन्धित रहूँगा/रहेंगे।

ई–बिडदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

प्रपत्र –'स'

वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि फर्म मैसर्स .... का विगत तीन वित्तीय वर्षो का टर्न ओवर निम्नानुसार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र सत्य व सही है। फर्म की विगत तीन वर्षों की Audited Balance Sheet/Profit and Loss A/C संलग्न है।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (राशि रू.लाखों में)
1	2021–22	
2	2022–23	
3	2023–24	
	कुल टर्न ओवर	
	औसत वार्षिक टर्न ओवर	

दिनांक :

हस्ताक्षर ई–बिडदाता
एवं सील

अंकेक्षक / सनदी लेखाकार का
नाम मय हस्ताक्षर एवं पंजीकरण संख्या

प्रपत्र –'द'

ई–बिडदाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने प्लेसमेंट कार्य/ सेवा ईकाई की जहां कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षो में आपूर्तित सेवा इकाईयों के सतोंषप्रद कार्य नहीं होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते है कि हम किसी भी न्यायालय में सेवा प्रदायगी में Defaulter का कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

ई–बिडदाता के हस्ताक्षर

प्रपत्र "य"

FORM NO. 1: (See rule 83 of RTPP)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurensent Act, 2012

Appeal No........................ of ....

Before the .... (First/Second Appeliate Authority)

1. Particulars of appealant :
   - (i) Name of the appeliant
   - (ii) Official Address, if any
   - (iii) Residential address
2. Name and address of the respondent (s) :
   - (i)
   - (ii)
   - (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (endorse copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravaction to the provisions of the Act by which the appeliant is aggrieved.
4. If the Appeliant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative.
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal.
6. Ground of appeal

   ....

   ....

   ....

   (Supported by an affidavit)
7. Prayer

   ....

   ....

Place ....

Date ....

....

Appeliant's Signature

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर

1) महाविद्यालय में होने वाले कृषि सम्बन्धी कार्यों का ब्यौरा

क्र.सं.	कार्य का विवरण
1.	अ. खेत की तैयारी – घासफूस निकलवाना व समतल करवाना ब. ले आउट करवाना, विभिन्न साइज की क्यारियाँ बनाना व पलेवा करना, बुवाई के बाद पुनः क्यारियाँ ठीक करना स. हाथ हल से रसायनिक खाद ओरना, वापिस क्यारी सुधारना, हुक से लाइन निकालना द. हाथों द्वारा प्रयोगों/परीक्षणों की बुवाई कराना
2.	अ. कीटनाशक, फफूंदनाशक एवं अन्य दवाओं का छिड़काव/भुरकाव करना ब. पौधों की छँटनी करना स. निराई–गुडाई–खरपतवार निकालना–खेत की सफाई (तीन बार) करना
3.	क्यारियों में ड्रीप/स्प्रिंकलर सिस्टम अथवा अन्य विधियों से सिंचाई करना
4.	फसल की कटाई व पूलियाँ बांधना : अ. बीज उत्पादन व सामान्य फसल ब. प्रयोगों/परीक्षणों की फसल
5.	बीज निकालना–गहाई, औसाई, सफाई करना : अ. बीज उत्पादन व सामान्य फसल ब. प्रयोगों/परीक्षणों की क्यारीवार/लाइनवार

2) आसलपुर फार्म तथा महाविद्यालय के उद्यान विज्ञान सम्बन्धी कार्यों का ब्यौरा

क्र.सं.	फार्म पर किये जाने वाले कृषि कार्य
1.	फलदार पौधे जैसे आंवला, बैर, लसोडा, बील, करोंदा आदि के थाँवलों की गुड़ाई करना, थाँवला बनाना व कचरे की सफाई करना अ. 1.50 मीटर व्यास के थाँवले ब. 3.50 मीटर व्यास के थाँवले
2.	फलदार पौधे जैसे आंवला, बैर, लसोडा, बील, करोंदा आदि के पौधों में कीटनाशक /फफूंदनाशक का छिड़काव करना अ. 3 वर्ष तक आयु के पौधे ब. 3–8 वर्ष तक आयु के पौधे स. 8 वर्ष से अधिक आयु के पौधे
3.	बेर के पौधों में प्रूनिंग करना एवं कटी हुई टहनियों को इकट्ठा करके एक स्थान पर रखना अ. 3 वर्ष तक आयु के पौधे ब. 3–8 वर्ष तक आयु के पौधे स. 8 वर्ष से अधिक आयु के पौधे
4.	फलदार पौधे जैसे आंवला, बैर, लसोडा बील, करोंदा आदि के थाँवले के व्यास के अनुरूप 9 इंच गहरी व एक फीट चौड़ी नाली बनाकर खाद एवं उर्वरक मिलना व नाली को पुनः भरकर समतल करना अ. 1.50 मीटर व्यास के थाँवले

	ब. 3.50 मीटर व्यास के थाँवले
5.	खरीफ फसल की बुवाई की तैयारी हेतु खेत में साफ–सफाई करना (सूड करना)
6.	उद्यान विज्ञान के अन्तर्गत सब्जियों के लिए खेत तैयार करना, बुवाई करना, तुड़ाई करना व अन्य सम्बन्धित सभी कार्य

3) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना RKVY - 04 व RKVY – 05

क्र. सं.	कार्य का विवरण
1	**RKVY – 04 (Poultry Farm) :-** मुर्गियों को पानी व दाना डालना, अण्डों को उठाना व प्रभारी के अनुसार लगाना, हेचरी के सामान्य कार्य जैसे दवाई का स्प्रे, धुलाई, सफाई तथा अन्य रखरखाव सम्बन्धित कार्य, बूडर हाऊस की सफाई, धुलाई व चूजों को पानी व दाना डालना। प्रदर्शन इकाई के सामान्य कार्य जैसे साफ सफाई, कार्यालय के कार्य तथा प्रभारी के निर्देशानुसार बताये अन्य कार्य करना।
2	**RKVY – 05 (Sirohi Goat) :-** लगभग 200 व्यस्क बकरियों को प्रतिदिन चराना, बाड़ों की सफाई तथा दूध दे रही सभी बकरियों का दूध निकालना व तुलवाना तथा बकरियों को लूम डालना। लगभग 20 व्यस्क बकरों को प्रतिदिन चराना बाड़ों की सफाई तथा अन्य कार्य जैसे लूम डालना, दवाई लगाना आदि कार्य प्रभारी के अनुसार करना। लगभग 100 छोटे बकरे–बकरियों की देखरेख जैसे दूध पिलाना, सफाई करना तथा प्रभारी के निर्देशानुसार अन्य कार्य करना।
3	**RKVY – 14 :-** लगभग 100 गिर गायों/बछडियों को प्रतिदिन चारा/दाना करना, पानी पिलाना, नहलाना, बाड़ों की सफाई तथा दूध दे रही सभी गायों का दूध निकालना व तुलवाना। लगभग 50 बछड़े/बछडियों को प्रतिदिन चारा/दाना करना, पानी पिलाना, नहलाना, बाड़ों की सफाई तथा अन्य कार्य जैसे दवाई लगाना आदि कार्य प्रभारी के अनुसार करना। लगभग 50 छोटे बछड़े/बछडियों की देखरेख जैसे दूध पिलाना, सफाई करना तथा प्रभारी के निर्देशानुसार अन्य कार्य करना।
4	**Dairy Farm :-** लगभग 25 गायों को प्रतिदिन चारा/दाना करना, पानी पिलाना, नहलाना, बाड़ों की सफाई तथा दूध दे रही सभी गायों का दूध निकालना व तुलवाना। बछड़े/बछडियों को प्रतिदिन चारा/दाना करना, पानी पिलाना, नहलाना, बाड़ों की सफाई तथा अन्य कार्य जैसे दवाई लगाना आदि कार्य प्रभारी के अनुसार करना। छोटे बछड़े/बछडियों की देखरेख जैसे दूध पिलाना, सफाई करना तथा प्रभारी के निर्देशानुसार अन्य कार्य करना।

4) अन्य कार्य

1	अकुशल	कार्यालय सम्बन्धित कार्य जैसे – कार्यालय सम्बन्धित प्रतिदिन के कार्य, कार्यालय/छात्रावास की सफाई, धुलाई, सड़कों की सफाई, भवनों के छतों की सफाई, प्रयोगशाला, शौचालयों की साफ–सफाई तथा अन्य चतुर्थ श्रेणी सम्बन्धित कार्य।
2	अर्द्धकुशल	कार्यालय सम्बन्धित कार्यों में सहयोग राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दक्षता रखना।
3	कुशल	कार्यालय में क्लर्क व सुपरवाईजर सम्बन्धित कार्य की राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दक्षता रखना।
4	उच्च कुशल	कार्यालय में कम्प्यूटर एवं तकनीकी सम्बन्धित उच्च कुशल कार्य में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दक्षता रखना।

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर

वित्तीय बिड

बिड खुलने के 90 दिन तक बिड स्वीकार करने के लिए वैध मानी जावेगी, बिड में मान्य दरें एक वर्ष तक वैध मानी जावेगी।

प्रपत्र ''ब''

वित्तीय बिड

मैं/हम बिड में दर्शाये गये कार्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित दरें प्रस्तुत कर रहे है

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी प्रति माह प्रति श्रमिक (₹)	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति श्रमिक दर (₹)	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि प्रति माह प्रति श्रमिक (₹)	कुल राशि ₹ (5+6+7+8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	पशुपालन, प्रायोगिक एवं अन्य कृषि कार्य हेतु श्रमिक	अकुशल (37,100)	₹ 6734.00					
2.		अर्द्धकुशल (2700)	₹ 7046.00					
3.		कुशल (5400)	₹ 7358.00					
4.		उच्च कुशल (2200)	₹ 8658.00					

नोट : –
1. सफल बिडकर्त्ता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही बिडकर्त्ता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा, अन्यथा बिडकर्त्ता कों बिल/बिलों का भुगतान नहीं किया जावेगा, जिसका बिडकर्त्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
2. यदि दो या अधिक बिडकर्त्ताओं की दर एक समान होने पर निविदा कार्य की लागत को **Negotiation** के द्वारा अथवा समानुपात में विभाजित किया जा सकेगा।

बिडदाता के हस्ताक्षर

तिथि, पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर

नोट :— 1. बिडदाता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा अन्यथा बिड मान्य नही होगी।
2. यदि कोई फर्म न्यूनतम वेजिज के ऊपर कुछ भी सर्विस चार्ज नही दर्शाते है, ऐसी फर्म को **Unresponsive** माना जायेगा।

अतिआवश्यक शर्ते :—

01. श्रमिकों को भुगतान बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा तथा वास्तविक भुगतान की पुष्टि श्रमिक के बैंक खाते के विवरण से भी किया जा सकेगी।
02. श्रमिकों को नियोजित करते समय उसके पी.एफ. खाते का विवरण उपलब्ध करवाना होगा।
03. श्रमिक के ई.एस.आई. में पंजीयन करवाकर प्रथम बिल के साथ संलग्न करना होगा।
04. पी.एफ. की जमा की पुष्टि श्रमिक के पी.एफ विवरण से कभी भी की जा सकेगी, यदि पी. एफ. खाते में राशि कम जमा करवाना पाया गया तो कभी भी वसूली की जा सकेगी।
05. सफल बिडकर्ता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई. पी.एफ. और ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति मूल कार्मिको की सूची जिनके खातो के अन्य राशि जमा की गई है, प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा,अन्यथा बिडकर्ता को बिल/बिलों का भुगतान नहीं किया जावेगा जिसका बिडकर्ता स्वंय जिम्मेदार होगा।
06. सफल तकनीकी बिड दाता फर्मो द्वारा सर्विस चार्ज के रूप में शून्य प्रतिफल अथवा ऐसी राशि जो कि गणना उपरान्त भुगतान योग्य राशि नहीं हो, प्रस्तावित करने पर शून्य प्रतिफल मानते हुए **RPPT Act** की धारा **2(xiii)** के अन्तर्गत अमान्य होगी।
07. दो या दो से अधिक बोलिदाताओं की समान दर प्राप्त होने पर दर स्वीकृति का निर्णय उपापन समिति द्वारा लिया जा सकेगा। न्यूनतम बिड दरे एक से अधिक बिड दाताओं की समान प्राप्त होने की स्थिति में उपापन समिति स्वविवेक से परीक्षण कर इस कार्य हेतु पात्र संस्थाऐं, कार्य करने की क्षमता स्थानीय परिस्थितियों एवं कार्य अनुभव रखने वाली फर्म को प्राथमिकता होगी, के आधार पर किसी भी न्यूनतम दरदाता की बिड स्वीकृति का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी। इस सम्बन्ध में कोई वाद स्वीकार नहीं होगा न ही उपापन समिति अन्य बिड दाताओं को इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य होगी। जो अन्तिम एवं सभी बोलीदाताओं के लिए बाध्यकारी होगा।

08. न्यूनतम मजदुरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

09. राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक अधिनियम (नियमन एवं उन्मूलन) 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बिमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक की उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुऐ बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जावेगी।

10. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खाते में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा करायी गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी 03 माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खाते में जमा करायी गई राशि के विवरण बाबत् उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

11. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

12. बिडदाता को 100 रू. के स्टाम्प पर शपथ पत्र देना होगा की फर्म ब्लेकलिस्ट नहीं है।

मैं/हम यह घोषणा करते है कि यदि मैं/हम निविदा में दर्शाई गई शर्तों एवं नियम का पालन नहीं करता/करते है तो हमारी बिड सिक्यूरिटी पर परफॉरमेन्स सिक्यूरिटी को जब्त कर लिया जाये। मैनें/हमनें बिड की सभी शर्तों/नियमों को भलीभांति पढ़ लिया है, समझ लिया है, तथा उनसे मैं/हम पूर्णतया सहमत है।

हस्ताक्षर
पूर्ण पत्ता फर्म की मोहर